अध्याय-IV

विद्युत क्रय की लागत का अनुकूलन

सारांश

उदय में राज्य उत्पादन इकाइयों की दक्षता में सुधार करके विद्युत उत्पादन की लागत में कमी की परिकल्पना की गई थी।

हमने पाया कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के विद्युत संयंत्रों का निष्पादन संतोषजनक नहीं था क्योंकि 2015-21 के दौरान निर्धारित मानदंडों से स्टेशन ऊष्मा दर (एसएचआर) अधिक थी जबकि संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) कम रहा।

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) को पीपीए प्रबंधन, विद्युत व्यापार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को एक साथ लाने एवं सुव्यवस्थित करने तथा विद्युत क्रय दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु दिसम्बर 2015 में निगमित किया गया था। तथापि, आरयूवीएनएल परिकल्पना के अनुसार संचालित नहीं किया जा सका क्योंकि इसका गठन संचालन के अपेक्षित तौर-तरीकों को दृष्टिगत रखे बिना किया गया था। परिणामस्वरूप, इसके गठन का उद्देश्य विफल हो गया था।

विद्युत क्रय के स्त्रोत

4.1 डिस्कॉम्स दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों, राज्य स्वामित्व वाले राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के तापीय विद्युत संयंत्रों, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों (एनसीईएस) एवं वैयक्तिक विद्युत उत्पादनकर्ताओं (आईपीपी) से विद्युत क्रय करते हैं। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स अल्पकालिक आधार पर कैप्टिव विद्युत उत्पादनकर्ताओं (सीपीपी), द्विपक्षीय एवं व्यापार सौदों तथा ऊर्जा विनिमय केंद्र के माध्यम से विद्युत क्रय करते हैं। 2015-21 के दौरान डिस्कॉम्स द्वारा क्रय की गई विद्युत का स्त्रोतानुसार विवरण (जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है) से इंगित हुआ कि डिस्कॉम्स द्वारा 98 प्रतिशत विद्युत दीर्घकालिक पीपीए के अंतर्गत क्रय की गई थी।

चार्ट संख्या 4.1: 2015-21 के दौरान डिस्कॉम्स द्वारा क्रय की गई विद्युत के स्रोत

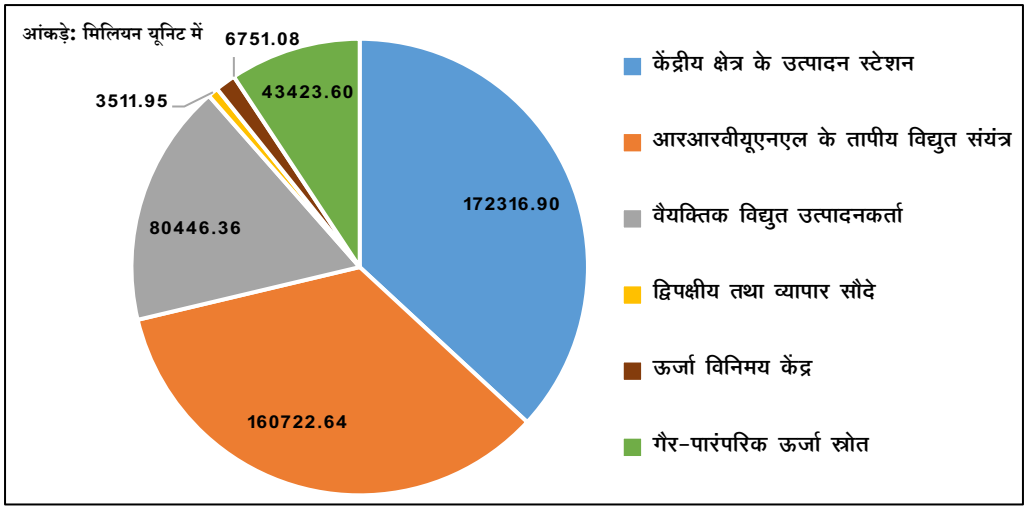

स्रोत: डिस्कॉम्स/आरयूवीएनएल द्वारा प्रदत्त सूचना।

विद्युत लागत को कम/अनुकूलित करने हेतु कदम

4.2 उदय के वाक्यांश 5.3 एवं एमओयू के साथ संलग्न कार्ययोजना के अनुसार, राज्यों/ डिस्कॉम्स/आरआरवीयूएनएल/ राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) द्वारा विद्युत की लागत को कम करने एवं विद्युत क्रय लागत के अनुकूलन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी:

i. डिस्कॉम्स द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्रत्याशित विद्युत क्रय करना;
ii. राज्य की उत्पादन इकाइयों की दक्षता में सुधार करना;
iii. विद्युत क्रय प्रबंधन के माध्यम से विद्युत क्रय लागत का अनुकूलन करना;
iv. अल्पकालिक विद्युत का क्रय करना; एवं
v. वरियता क्रम की ठोस पालना करना।

विद्युत की लागत में कमी एवं विद्युत क्रय लागत के अनुकूलन में पायी गई कमियों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

विद्युत क्रय की लागत एवं राज्य की उत्पादन इकाइयों की दक्षता

4.3 लेखापरीक्षा ने पाया कि आरआरवीयूएनएल से प्रति इकाई क्रय लागत (2015-21 के दौरान कुल हिस्सेदारी का 34.40 प्रतिशत[1]) 2015-16 से 2020-21 के दौरान एनसीईएस के अतिरिक्त अन्य स्रोतों की तुलना में महंगी थी, जैसा कि **अनुबंध-11** में दर्शाया गया है।

1 2015-21 के दौरान आरआरवीयूएनएल के सभी विद्युत संयंत्रों से क्रय की विद्युत/2015-21 के दौरान डिस्कॉम्स द्वारा कुल विद्युत क्रय*100

आरआरवीयूएनएल के सभी चार उत्पादन स्टेशनों की प्रति इकाई उत्पादन लागत **अनुबंध-12** में दर्शाई गई है ।

जैसा कि **अनुबंध-12** से देखा जा सकता है कि 2016-17, 2019-20 एवं 2020-21 में केएसटीपीएस तथा 2016-19 में एसएसटीपीएस के अतिरिक्त, सभी चारों उत्पादन स्टेशनों[2] की स्टेशन ऊष्मा दर (एसएचआर) आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों से सदैव अधिक थी। मानदंडों से अधिक एसएचआर के कारण इन तापीय स्टेशनों में कोयले की अत्यधिक खपत हुई और तदनुसार उत्पादन की लागत अधिक थी। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2018-19 में सीटीपीपी को छोड़कर, सभी चारों उत्पादन स्टेशनों का 2015-21 के दौरान संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) लक्षित पीएलएफ से कम था। कम पीएलएफ ने यह इंगित किया कि संयंत्रों का उनकी इष्टतम क्षमता तक उपयोग नहीं किया गया था एवं इस प्रकार उत्पादित विद्युत की प्रति इकाई लागत बढ़ गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2015-21 के दौरान लक्षित पीएलएफ की उपलब्धि नहीं होने के कारण, आरआरवीयूएनएल के सभी विद्युत संयंत्र आरईआरसी (टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) विनियम 2014 एवं 2019 (विनियम 2014/2019) के तहत निर्धारित किसी भी प्रोत्साहन (2018-19 के ट्रू-अप ऑर्डर के तहत सीटीपीपी को ₹ 4.82 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन को छोड़कर) से वंचित रह गए थे।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2022) कि आरआरवीयूएनएल एवं केंद्रीय क्षेत्र से विद्युत वरीयता क्रम प्रेषण (एमओडी[3]) के अनुसार अनुसूचित की जाती है। इसने आगे कहा कि यदि संयंत्र उपलब्ध हैं लेकिन एमओडी में अनुसूचित नहीं किए जाते हैं तो स्थाई शुल्क का भुगतान करना होगा।

साथ ही, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) द्वारा विद्युत अनुसूचित नहीं किए जाने के कारण पीएलएफ कम था।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि एसएलडीसी द्वारा संयंत्रों हेतु उत्पादन अनुसूची परिवर्तनीय शुल्क के आधार पर निर्णित की जाती है। तथापि, आरआरवीयूएनएल परिवर्तनीय शुल्कों को नियंत्रित करने के लिए परिचालन दक्षता सुनिश्चित नहीं कर सका। साथ ही, यह उच्च एसएचआर के संबंध में मौन था।

अनुशंषा 14: आरआरवीयूएनएल अपने विद्युत संयंत्रों के प्रदर्शन में सुधार हेतु एसएचआर को मानदंडों के भीतर रखने एवं पीएलएफ बढ़ाए जाने के संबंध में उचित कदम उठा सकता है।

2 कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र (केएसटीपीएस), सूरतगढ़ सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र (एसएसटीपीएस), छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र (सीटीपीपी) और कालीसिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र (केटीपीपी)।

3 एमओडी वह क्रम है जिसमें ऊर्जा संयंत्रों का उनके परिवर्तनीय शुल्कों के आधार पर श्रेणीकरण किया जाता है।

विद्युत क्रय प्रबंधन

विद्युत क्रय प्रबंधन हेतु नवीन उपक्रम का निगमन

4.4 दक्षता में सुधार एवं विद्युत क्रय (पीपीए प्रबंधन सहित), विद्युत व्यापार, विद्युत क्रय दक्षता पर ध्यान बढ़ाने, दीर्घकालिक कर्मचारी व्यवस्था के माध्यम से बेहतर संस्थागत व्यवस्था तथा विशेषज्ञों की सेवाओं को लेने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, राजस्थान सरकार ने एक नई कंपनी-राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) को निगमित किया (दिसंबर 2015)। पूर्व में, डिस्कॉम्स विद्युत क्रय गतिविधि को राजस्थान डिस्कॉम्स विद्युत प्रापण केन्द्र नामित एक सामूहिक प्रकोष्ठ के माध्यम से करते थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरयूवीएनएल ने सीईआरसी विनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार व्यापार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया (मार्च 2017)। तदोपरांत, राजस्थान सरकार ने आरयूवीएनएल को व्यापार अनुज्ञापत्र की आवश्यकता के बिना थोक विद्युत क्रय एवं विक्रय का कारोबार करने में समर्थ बनाने हेतु राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में सुधार स्थानांतरण योजना, 2000 में संशोधन किया (जुलाई 2019)। राजस्थान सरकार ने डिस्कॉम्स को पीपीए/ प्रसारण सेवा अनुबंध (टीएसए) आरयूवीएनएल को हस्तांतरित करने एवं विद्युत उत्पादकों/ प्रसारण सेवा प्रदाताओं को अक्टूबर 2019 से बिल आरयूवीएनएल के नाम से जारी किए जाने हेतु सूचित करने का भी निर्देश दिया (अगस्त 2019)। आरयूवीएनएल ने मानद अनुज्ञाधारी[4] के रूप में अपने नाम पर विद्युत क्रय से संबंधित कार्यों को संभालने के लिए कार्ययोजना अनुमोदित की (अगस्त 2019)।

अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, डिस्कॉम्स को विद्युत उत्पादकों की चालू देनदारी को चुकाने के लिए, अपनी दैनिक प्राप्तियों के निश्चित प्रतिशत के आधार पर, एस्क्रो प्रबंधन के माध्यम से दैनिक आधार पर आरयूवीएनएल को निधि हस्तांतरित करनी थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सरकार ने कार्ययोजना के कार्यान्वयन को मार्च 2020 तक के लिए आस्थगित कर दिया था (अक्टूबर 2019 एवं जनवरी 2020) क्योंकि डिस्कॉम्स अपने रोकड़ प्रवाह में सारभूत अंतर एवं ऋण सेवा के रूप में महत्वपूर्ण भुगतान देनदारियों को नियत तिथि पर पूर्ण करने में असमर्थ होने के कारण आरयूवीएनएल को दैनिक प्राप्तियों पर एस्क्रो सुविधा प्रदान करने में सक्षम नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरयूवीएनएल को कंपनी में रोकड़ प्रवाह के परिचालन तौरतरीकों का पूर्वानुमान किए बिना संचालित किया गया था। साथ ही, आरयूवीएनएल को सही भावना से संचालित नहीं किया गया था एवं मार्च 2021 तक विद्युत क्रय से सम्बंधित समस्त लेनदेन

4 राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में सुधार स्थानांतरण योजना 2000, (विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अनुसार) के अंतर्गत विद्युत की आपूर्ति के व्यवसाय में लगे हुए हैं।

डिस्कॉम्स के नाम पर किए गए थे क्योंकि कार्ययोजना को आस्थगित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, आरयूवीएनएल द्वारा डिस्कॉम्स से ₹ 101.42 करोड़ का प्रशासनिक व्यय वसूल किया गया था, जिस पर 2016-22 के दौरान सेवा कर (जून 2017 तक) तथा वस्तु एवं सेवा कर (जुलाई 2017 से) की ₹ 12.51 करोड़ देनदारी भी उत्पन्न हुई।

इस प्रकार, पीपीए प्रबंधन सहित विद्युत क्रय, विद्युत व्यापार संबंधी सभी प्रक्रियाओं को एक साथ लाने एवं सुव्यवस्थित करने तथा विद्युत क्रय दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु आरयूवीएनएल को निगमित करने का उद्देश्य विफल हो गया था।

डिस्कॉम्स ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा (अक्टूबर 2022) कि आरयूवीएनएल, जब भी एक स्वतंत्र ऊर्जा व्यापार कंपनी के रूप में अपने नाम से काम करना शुरू करेगी, विद्युत के विक्रय पर जीएसटी प्रभारित नहीं होगा। सरकार ने डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत किए गये उत्तर का समर्थन किया (अक्टूबर 2022)।

अनुशंषा 15: आरयूवीएनएल अपने निगमन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकता है।

आरईआरसी द्वारा व्यय की अस्वीकृति

4.5 आरईआरसी ने 2015-19 की अवधि हेतु वितरण हानियों में कमी के लिए प्रक्षेपपथ को अंतिम रूप दिया (फरवरी 2015)। साथ ही, आरईआरसी ने उदय/एमओयू के अंतर्गत डिस्कॉम्स द्वारा प्रतिबद्ध हानियों की अनुपालना में 2016-19 की अवधि के लिए वितरण हानियों के प्रक्षेपपथ को संशोधित किया (नवंबर 2017) (जैसा कि **अनुच्छेद 5.3.1** में दर्शाया गया है)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण हानि में आरईआरसी द्वारा दिए गए लक्ष्य से अधिक वृद्धि के कारण आरईआरसी ने विद्युत के अतिरिक्त क्रय के पेटे 2015-21 हेतु डिस्कॉम्स के ₹ 11,980.98 करोड़[5] रुपये के व्यय को अस्वीकृत कर दिया। आरईआरसी ने व्यय को अस्वीकृत करते हुए कहा कि विभिन्न हानि कटौती योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त निवेश करने के उपरांत भी, डिस्कॉम्स उदय के अंतर्गत अनुमोदित/संशोधित हानि कटौती प्रक्षेपपथ के अनुसार हानियों को कम नहीं कर सके। साथ ही, डिस्कॉम्स मीटरिंग, बिलिंग एवं संग्रहण इत्यादि गतिविधियों में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित नहीं कर सके एवं इसलिए, अपेक्षित निवेश की अनुमति के पश्चात भी डिस्कॉम्स द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं किए जाने के कारण उपभोक्ताओं पर भार नहीं डाला जाना चाहिए। तदनुसार, आरईआरसी ने डिस्कॉम द्वारा की गई वास्तविक हानियों के स्थान पर इसके द्वारा अनुमोदित लक्षित हानियों पर आधारित ऊर्जा आवश्यकता की अनुमति दी। इस प्रकार,

5 जयपुर डिस्कॉम: ₹ 5918.47 करोड़, अजमेर डिस्कॉम: ₹ 2172.67 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम: ₹ 3889.84 करोड़।

परिचालन दक्षता में सुधार नहीं होने एवं आरईआरसी/उदय द्वारा तय किए गए प्रक्षेपपथ के अनुसार हानियों में कमी नहीं होने से डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा (अक्टूबर 2022) कि डिस्कॉम्स ने आरईआरसी द्वारा निर्दिष्ट हानि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने पूर्ण प्रयास किए थे तथा इस संबंध में कई उपाय एवं योजनाएं शुरू की गई हैं।

ईंधन अधिभार

4.6 आरईआरसी के विनियम (टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) 2014/2019 के वाक्यांश 88 में डिस्कॉम द्वारा अपने उपभोक्ताओं से किसी भी तिमाही के लिए वसूल किए जाने वाले ईंधन अधिभार (एफएस) की गणना के लिए एक सूत्र निर्दिष्ट किया गया था। साथ ही, निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार वसूली योग्य कुल ईंधन अधिभार, वास्तविक विक्रय से वसूल किया जाना था एवं बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के प्रकरण में, यह ऐसे उपभोक्ताओं को किए गए अनुमानित विक्रय के आधार पर वसूल किया जाना था।

ईंधन अधिभार की गणना एवं प्रभारित किए जाने से संबंधित 2015-21 की अवधि के अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि:

- सात से दस तिमाहियों[6] में, डिस्कॉम्स ने ईंधन अधिभार प्रभारित किए जाने हेतु आदेश 4 से 226 दिवस के मध्य विलंब से जारी किए;
- ईंधन अधिभार विगत तिमाही के उपभोग पर वसूला जाना था। तथापि, अजमेर डिस्कॉम ने 2016-17 की प्रथम एवं चतुर्थ तिमाही हेतु ईंधन अधिभार विगत तिमाहियों के स्थान पर चालू तिमाहियों के उपभोग के आधार पर वसूल किया एवं इस प्रकार उपभोक्ताओं से ₹ 2.31 करोड़ की अतिरिक्त राशि वसूल की, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.1: उपभोक्ता से वसूली गई अतिरिक्त राशि का विवरण

वर्ष (तिमाही)	एफएस दर	आदेश दिनांक	गत तिमाही का उपभोग	चालू तिमाही का उपभोग	अंतर	अतिरिक्त वसूली
2016-17	**₹ प्रति यूनिट**		**(एमयू)**	**(एमयू)**	**(एमयू)**	**(₹ करोड़ में)**
प्रथम	0.01	17 नवंबर 2016	3406.95	3434.34	27.39	0.03
चतुर्थ	0.11	25 अक्टूबर 2017	3403.87	3611.87	208.00	2.28
योग						**2.31**

स्रोत: अजमेर डिस्कॉम के अभिलेख।

6 जयपुर डिस्कॉम: 10 तिमाही, अजमेर डिस्कॉम: 9 तिमाही एवं जोधपुर डिस्कॉम: 7 तिमाही।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2022) कि डिस्कॉम्स ने समय पर आदेश जारी किए जाने के पूर्ण प्रयास किए। तथापि, संग्रहण, समीक्षा एवं आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने हेतु आंकड़ों के सत्यापन में लगने वाले समय के कारण आदेशों को जारी करने में विलंब हुआ।

तथ्य तथापि यही रहा कि आदेशों को जारी किए जाने में विलंब के कारण ईंधन अधिभार की वसूली में विलंब हुआ।

नवीकरणीय क्रय दायित्व

4.7 उदय के वाक्यांश 9 के अनुसार, डिस्कॉम्स द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से तय की जाने वाली अवधि के भीतर, 1 अप्रैल 2012 से बकाया नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ[7]) की पालना की जानी आवश्यक थी।

आरपीओ हेतु नियामक तंत्र नीचे वर्णित है:

विनियमन	वाक्यांश	प्रावधान
आरईआरसी (आरपीओ) विनियमन 2007	**4**	**2007-08 हेतु नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) का न्यूनतम (4.88 प्रतिशत) क्रय दायित्व जिसे वर्ष 2011-12 के लिए आगे 9.50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।**
	5	**आरई दायित्व को पूर्ण किए जाने में कोई भी कमी हेतु 2007-08 में डिस्कॉम द्वारा ₹ 3.59/केडब्ल्यूएच की दर से आरई अधिभार भुगतान करना था जो संशोधित होने तक जारी रहना था।**
आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र एवं नवीकरणीय क्रय दायित्व अनुपालना तंत्र) विनियमन, 2010	**4(अ)**	**बाध्य इकाई दायित्व के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत क्रय करेगी।**
	9	**यदि बाध्य इकाई निर्दिष्ट आरपीओ को पूर्ण नहीं करती है, तो आयोग बाध्य इकाई को आरपीओ की इकाइयों में कमी के आधार पर इसके द्वारा निर्धारित आरपीओ प्रभार एवं केंद्रीय आयोग द्वारा तय किए गए सहनशीलता मूल्य[8] को एक पृथक कोष में जमा करने का निर्देश दे सकता है।**
	9 उपांतरित	**चूक वाली बाध्य संस्थाओं को मूल्यांकन वर्ष के 30 नवंबर तक, संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को लागू सौर या गैर-सौर आरईसी की कमी एवं सहनशीलता मूल्य के उत्पाद के बराबर आरपीओ प्रभारों का भुगतान करना होगा।**

7 आरपीओ अधिदेशित करता है कि सभी डिस्कॉम्स अपनी आवश्यकताओं की एक न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय अथवा उत्पादित करें।

8 जुलाई 2020 से सौर एवं गैर-सौर आरईसी के लिए ₹ 1000/मेगावाट।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, डिस्कॉम्स, 2019-20 के दौरान सौर ऊर्जा के प्रकरण को छोड़कर, 2011-21 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के क्रय के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके जैसा कि **अनुबंध-13** में दर्शाया गया है। विनियम के अनुसार, 13,105.02 एमयू की समग्र कमी को या तो ₹ 1,310.50 करोड़ मूल्य के आरपीओ के क्रय के माध्यम से पूर्ण किया जाना वांछित था या चालू सहनशीलता मूल्य की राशि को पृथक खाते में जमा करवाई जानी थी।

आरईआरसी ने डिस्कॉम्स को उक्त कमी को रिवर्स बिडिंग[9] के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा खरीदकर अगले पांच वर्षों में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया (नवंबर 2017)। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने आरईआरसी द्वारा पारित आदेश पर कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी। आरईआरसी ने डिस्कॉम को आगामी तीन वर्षों में कमी को पूर्ण किए जाने हेतु पुनः निर्देशित किया (अक्टूबर 2020)। तथापि, विनियम के अनुसार आरपीओ को क्रय किए जाने अथवा पृथक खाते में चालू सहनशीलता मूल्य पर निर्दिष्ट राशि को जमा किए जाने के संबंध में की गई कोई कार्यवाही डिस्कॉम्स के अभिलेखों नहीं पायी गई थी।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने बकाया आरपीओ के संबंध में उदय के प्रावधान की पालना नहीं की थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा (अक्टूबर 2022) कि डिस्कॉम्स की ओर से, आरयूवीएनएल ने आरपीओ की कमी को माफ करने हेतु आरईआरसी के समक्ष एक याचिका दायर की थी। आरईआरसी ने अपने आदेश (दिसंबर 2021) में आदिनांक तक संचित आरपीओ शेष के साथ-साथ भविष्य के आरपीओ लक्ष्यों को 2023-24 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया है। आरयूवीएनएल/डिस्कॉम्स ने आरपीओ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपेक्षित मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा क्रय करने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक विद्युत विक्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

9 रिवर्स बिडिंग एक ऐसी विधि है जिसमें विक्रेता उन कीमतों के लिए बोली लगाते हैं जिन पर वे अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के इच्छुक होते हैं।